इकतारा बोले

डॉ टी महादेव राव
विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
9394290204

आज का युग और नल कुबेर

पड़ोसी ज्ञानी दास दशहरे की बधाई देने घर आया गले मिला और बैठा। मैंने भी बधाई दी और अंदर चाय बनाने के लिए कहकर उनके साथ ही बैठा।

राव जी! हमने रावण का दहन कर तो दिया, लेकिन अपने भीतर के रावण को हम शायद पूरी तरह कभी भी जला नहीं पाते हैं और नतीजतन अनेक कुकर्म करने पर मजबूर होते रहते हैं। कभी-कभी अहम का सिर तो कभी मनमानी करने की आकांक्षा का सिर, कभी शोषण करने का सिर, तो कभी पराई स्त्री गमन की कुबुद्धि का सिर तो कभी सब पर छा जाने और अपने आप को सबसे बेहतर बताने के इच्छा वाला सिर हमारी दुर्बुद्धियुक्त रावणीय प्रवृत्ति के कारण ऊपर उठते हैं। हमें बहुत कुछ बुरा करने पर विवश करते हैं। इससे ही मुक्ति पाना है।

ज्ञानी जी। आपका ज्ञान तो सही बखान कर रहा है लेकिन आपने जो कुबुद्धि बताई वह तो सही है लेकिन मुक्ति पाना, बुरी आदतें छोड़ना जैसी पुस्तकें आदर्शों पर कौन अमल करता है? लगता है यह पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे अचरहिं ते नर न घनेरे का उत्तम उदाहरण होगा।

लेकिन राव जी। चर्चा करने में, ज्ञान के आदान प्रदान में क्या बुराई है? कुछ अच्छी बातें करेंगे तो मन को भी अच्छा अच्छा लगने लगेगा।

बात तो आपकी सही है। लेकिन सिर्फ बातें ही बातें कब तक करेंगे अपने नेताओं की तरह लोगों को लुभाने के लिए। उनमें और आम नागरिकों में कुछ तो अंतर रहने दें।

राव जी। चलिए एक हल्का चुटकुला सुनता हूं दशहरे के संदर्भ में। आपने सुना भी होगा शायद।

सुनाइए। श्रोता बनना सदा सुरक्षित होता है।

रावण दहन के बाद सारे चले गए। एक आदमी बचा था जो जलते रावण को देख रहा था। तभी उस आग से रावण की आत्मा बाहर आई और कहा मैंने राम की पत्नी सीता को उठा ले गया था, उन्होंने मुझे मार दिया, किस्सा खत्म। लेकिन मुझे हर साल जलाते हो। मैंने तुम्हारी बीवी को तो नहीं उठा ले गया न। आदमी ने कहा तभी तो हम तुम्हें जलाते हैं। अच्छा जोक है। एक बात बताएं ज्ञानी जी। भारत में ही नहीं सारे विश्व में स्त्रियों पर जो बलात्कार, अत्याचार हो रहे हैं उन्हें पूरी तरह रोकने का कोई उपाय है? कानून को कड़ा बनाना होगा। बलात्कारी को देखते ही गोली मार देने की सज़ा तजवीज की जाए तो ये रेप जैसे जुर्म खत्म हो सकते हैं। आपका क्या विचार है राव जी। मुझे तो लगता है इससे कुछ होगा नहीं सिवाय शोर शराबे के। मेरा खयाल है जिस तरह नलकुबेर ने रावण को शाप दिया। उसी तरह विश्व के सारे पुरुषों को भी शाप दे दिया जाए तो बलात्कार बंद होंगे।

क्या था वो शाप और क्यों दिया था रावण को नलकुबेर ने?

रावण का भाई कुबेर और कुबेर का पुत्र नलकुबेर। नल कुबेर की होने वाली पत्नी रंभा, जो कि रिश्ते में रावणकी पुत्र वधु है, पर मोहित हो रावण अत्याचार करने लगा। नल कुबेर ने वहीं रावण को शाप दिया अगर तुमने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूने की कोशिश की तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जाएंगे। अगर इसी तरह का शाप दुनिया के सारे मर्दों को दिया जाये तो नारी शोषण और स्त्रियों पर अत्याचार बंद होंगे। राव जी। मैं तो नाम का ज्ञानी हूं आप तो कमाल के ज्ञानी हैं।

नायब तहसीलदार ने विधवा महिला का नामांतरण करने के लिए रिश्वत मांगी, पकड़ाए

पटवारी को सजा, एसपी की दुर्गा ने रिश्वत लेते अफसर को पकड़ा

इंदौर/खुड़ैल॥(राजेन्द्र के. गुप्ता /सात्विक गुप्ता 8959346146) इन स्थितियों में ही कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं को देवी मान कर नव दुर्गा में पूजन करना नौटंकी लगती है क्योंकि नौदुर्गा के चलते नायब तहसीलदार ने विधवा महिला से भूमि का नामांतरण करने के लिए रिश्वत ली...और पकड़े गए..

ट्रैप हुए

नायब तहसीलदार कार्यालय खुड़ैल में निलंबित अटैच कर्मचारी काम कर रहा था, उसने नायब तहसीलदार के लिए रिश्वत ली और ड्राज में रख ली, लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय के निर्देश पर पहुंची लोकायुक्त टीम ने बाबू ग्रेड 3 नरेन्द्र नरवरिया को रंगे हाथों ट्रैप किया, अपराध में नायब तहसीलदार दयाराम निगम को मुख्य आरोपी बनाया है।

विधवा महिला का नामांतरण करने के लिए रिश्वत ली

एडवोकेट कृष्ण कुमार दांगी ने लोकायुक्त एसपी डॉ सहाय को शिकायत कर बताया कि उनकी विधवा बुआ भगवंतीबाई निवासी ग्राम खराड़िया की भूमि के नामांतरण करने के लिए बाबू नरेन्द्र नरवरिया द्वारा नायब तहसीलदार खुड़ैल दयाराम निगम के साथ मिलकर 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। लोकायुक्त एसपी डॉ सहाय ने अपनी टीम से रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि करवाई । दिनांक 30/09/2025 को बाबू नरवरिया ने रिश्वत लेने के लिए एडवोकेट दांगी को तहसील कार्यालय खुड़ैल बुलाया। तहसील कार्यालय खुड़ैल में जैसे ही एडवोकेट दांगी ने रिश्वत की राशि बाबू नरवरिया की ड्राज में रखी वैसे ही लोकायुक्त ट्रैप दल के सदस्य डीएसपी सुनील तालान, निरीक्षक आशुतोष मिठास, स.ऊ.नि. रहीम खान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक आदित्य भदौरिया, राकेश मिश्रा, आशीष नायडू, आशीष आर्य, शैलेन्द्र बघेल, शेरसिंह ठाकुर ने बाबू नरवरियों के हाथ पकड़ कर ट्रैप की कार्यवाही की। लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप केस में नायब तहसीलदार दयाराम निगम और निलंबित बाबू नरेन्द्र नरवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 2018 की धारा 7, 61(2) में अपराध दर्ज करके रिश्वत की राशि जप्त कर ली है, देर शाम तक तहसील कार्यालय खुड़ैल में लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही जारी थी।

पटवारी को सजा हुई

दिनांक 29/09/2025 को रिश्वतखोर महिला पटवारी श्रीमती कंचन तिवारी को खंडवा कोर्ट ने तीन साल की सश्रम सजा और 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। पटवारी कंचन तिवारी को दिनांक 20/01/2020 को 2 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया था। इस मामले में सहायक जिला अभियोजन विनोद पटेल ने लोकायुक्त की तरफ से पैरवी करके पटवारी को सजा दिलवाई है।

एसडीएम पर आरोप, ऑडियो वायरल

कुछ समय पूर्व इंदौर में पदस्थ एक एसडीएम पर 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। एसडीएम और उनका कर्मचारी एक पुत्र से उसके पिता की मृत्यु पर पुत्र के नाम जमीन का नामांतरण करने के लिए रिश्वत मांग रहा था, इस मामले में कलेक्टर को शिकायत हुई थी और मामला मीडिया में भी आया था।

रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए एसपी की दुर्गा टीम

लोकायुक्त एसपी डॉ राजेश सहाय ने नौदुर्गा में महिला निरीक्षकों के नेतृत्व में ट्रैप दल अर्थात दुर्गा टीम गठित की है। जिसका नेतृत्व निरीक्षक रेणु अग्रवाल और निरीक्षक प्रतिभा तोमर कर रही है दिनांक 24/09/2025 की निगम कर्मचारियों और जिला आपूर्ति अधिकारी की रेणु अग्रवाल और प्रतिभा तोमर ने ही रिश्वत लेते ट्रैप किया था। एसपी डॉ सहाय की कार्यवाहियों की पूरे मध्यप्रदेश में चर्चा है और रिश्वतखोरों में भय है।

नौदुर्गा पंडाल मे पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले को एक वर्ष की सजा, 500 रूपए अर्थदंड

इन्दौर । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज अग्रवाल की कोर्ट ने पुलिस कर्मी से मारपीट करने वाले आरोपी को दोषी करार देते 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का था जहां आरोपी ने अपने साथी के साथ नवदुर्गा पंडाल में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के साथ मारपीट की थी। जिस पर थाना हीरानगर में आरोपी पवन पिता स्व सुभाष पटेल, उम्र- 35 वर्ष, निवास खातीपुरा पर धारा 332 भा.दं.सं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया गया था। प्रकरण में अभियोजन पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ईशु यादव, द्वारा की गयी। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सहायक उपनिरीक्षक बी.आर. सिसोदिया ने दिनांक 03.10.2011 को थाना हीरानगर में शिकायत दर्ज कराते बताया कि उक्त दिनांक को उसकी ड्युटी थाने से सिद्धेश्वर नव रगबा गौरीनगर में थी। ड्यूटी के दौरान लगभग 22ः30 बजे खातीपुरा के दो लड़के आये और आकर कहा कि तू यहां क्या ड्युटी कर रहा है, तुझे किसने यहां ड्युटी पर लगाया है। उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मैंने उन्हें समझाकर जाने का कहा तो वे मुझे अश्लील गालियां देते हुए कहने लगे कि तु हमें जाने का कहने वाला कौन होता है। मेरे द्वारा पुनः समझाया गया कि नवरात्रि का त्यौहार है गरबा जैसे त्यौहार को मत बिगाड़ो तो उन्होंने और उत्तेजित होकर मेरी कालर पकड़ ली। फिर मैने कालर पकड़ने वाले का हाथ पकड लिया तथा उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सूरज बताया जैसे ही सूरज को समझाने लगा तो उसका साथी भी आ गया तथा कहा कि मेरा नाम पवन है और कहा कि तुम जैसे पुलिस वालों को तथा तेरे को तो अभी देखते है और दोनों ने मुझे उठा कर पटक दिया तथा एक ने दाहिने गाल व कान में थप्पड़ मारा जिससे मुझे गाल व कान में व पटकने से पीठ व हाथ पैरों में चोट आई। जैसे ही मै छूटा और मैने वायर लेस से काल किया तो कोबरा स्क्वाड में लगे रमेश तथा थाने से आर. कुशेन्द्र ,भगवान मिश्रा, राजेन्द्र रघुवंशी, प्रदीप पाण्डे तथा गरबा देखने आये राहगीर राकेश परिहार आ गए। इससे वे दोनों और बौखला गये तथा और अधिक मारपीट करने लगे। उसके बाद उन्हें पकड़कर थाने लाए तथा उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते निर्णय सुनाया। प्रकरण में दूसरे आरोपी सूरज की प्रकरण विचारण के दौरान मृत्यु हो गयी।

फरियाली साबूदाने का वितरण

इंदौर। संस्था श्री राजवंश के संस्थापक ब्रह्मलीन श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की स्मृति में शुभम् शुक्ला एवं दीपम शुक्ला द्वारा वर्ष 2024 से लगातार नवरात्रि की सप्तमी अष्टमी एवं नवमी पर फरियाली साबूदाने का अखंड वितरण एरोड्रम रोड पर किया जा रहा है। संस्था द्वारा इस परंपरा का रिकार्ड बनाया जा रहा है।

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 3 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री भावेश पिता नानक चावला, मोबाइल नंबर .... के द्वारा झोन क्रमांक 03 राजस्व विभाग पर सर्विस नं. 1000842906 पर आवेदन प्रस्तुत कर पता- 11/2, जेलरोड, इंदौर सम्पत्ति का नामान्तरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 1.10.25 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर आपत्ति हो तो झोन क्रं. 3 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
झोनल अधिकारी व सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 3, नगर पालिक निगम, इंदौर

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 9 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्रीमती विद्याबाई पति राजू कुशवाह, मोबाइल नंबर .... के द्वारा झोन क्रमांक 09 राजस्व विभाग पर सर्विस नं. 1001030543 पर आवेदन प्रस्तुत कर पता- 7, देवनगर, इंदौर सम्पत्ति का नामान्तरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 1.10.25 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर आपत्ति हो तो झोन क्रं. 9 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
डॉ. भीमराव अंबेडकर, झोन क्र. 9, नगर पालिक निगम, इंदौर
इंदौर समाचार

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 20 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मीनादेवी (मिनाक्षी देवी), मोबाइल नं. .... के द्वारा झोन क्रं. 20 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारीस नाते प्रस्तुत सर्विस/पिन 1000851863 मकान प्लाट नम्बर 28, पंचकुईया, इंदौर पर नामान्तरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 1.10.25 से 07 (सात) दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामान्तरण पर आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 20 के राजस्व विभाग में सहायक अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 20, नगर पालिक निगम, इंदौर
इंदौर समाचार

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 20 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक (1) श्री दिलीपसिंह ठाकुर, (2) प्रदीप ठाकुर, मोबाइल नं. .... के द्वारा झोन क्रं. 20 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारीस नाते प्रस्तुत सर्विस/पिन 1001271595 मकान प्लाट नम्बर पुराना 21/6, नया 500, रामानन्द नगर, इंदौर पर नामान्तरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 1.10.25 से 07 (सात) दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामान्तरण पर आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 20 के राजस्व विभाग में सहायक अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 20, नगर पालिक निगम, इंदौर
इंदौर समाचार

न्यायालय, कमिश्नर फॉर वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट, श्रम न्यायालय, देवास (म.प्र.)
प्र.क्रं. 29/23 डब्ल्यूसीएनएफ
:: सूचना पत्र ::
युसूफ खान पिता मुनीर खान ग्राम गंधर्वपुरी तह. सोनकच्छ जिला देवास
विरुद्ध प्रतापसिंह पिता चंदरसिंह बालाजी गोडाउन प्रार्थना तोलकांटे के पास ग्राम पालदा इन्दौर (म.प्र.)
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 29/23 डब्ल्यूसीएनएफ विरुद्ध युसूफ खान पिता मुनीर खान/प्रतापसिंह पिता चंदरसिंह के अनुसार आपके विरुद्ध राशि रुपए 30,00,000/- दावा पेश किया है। आपने आज दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में भेजे गये सूचना पत्र के बावजूद आप आज दिनांक तक न्यायालय में में उपस्थित नहीं हुए है। अतः नियत दिनांक 15/10/2025 को आवश्यक रूप से 11.00 बजे न्यायालय में अनिवार्यतः उपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 15/10/25 नियत है।
(सैयद दानिश अली)
कमिश्नर इम्प्लाई कम्पनसेशन एक्ट. लेबर कोर्ट, देवास (म.प्र.)
प्रति, प्रतापसिंह पिता चंदरसिंह बालाजी गोडाउन प्रार्थना तोलकांटे के पास ग्राम पालदा इन्दौर (म.प्र.)

:: जाहिर सूचना ::
सर्व साधारण हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा - श्री कमल भार्गव पिता श्री लक्ष्मीनारायण के मालीकी, स्वत्व आधिपत्य एवम कब्जे की पेत्रक सम्पत्ति जो की - शहर इंदौर के वार्ड क्रमांक 30, गुरु नगर, तहसील व जिला जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित भूखण्ड क्रमांक 121 का कुल क्षेत्रफल 400.00 वर्गफीट(37.17 वर्गमीटर) पर निर्मित भवन स्थित होकर कर, उस पर अपनी पत्नी श्रीमती चंताना पति श्री कमल भार्गव को सह-स्वामी बनाया गया है, जिसका ई-रजिस्टर्ड पंजीयन सह- स्वामी सह- स्वामी विलेख विलेख पत्र (E-Registered Co-Ownership Deed) क्रमांक MP7GR17532025A100883183 दिनांक 30.09.2025 है । तथा उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार द्वारा SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED में बंधक (MORTGAGE) रखकर लोन लिया जा रहा है। यह की, उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में यदि कोई भी अन्य व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार या आपत्ति हो तो उक्त जाहिर सुचना के प्रकाशन के 07 दिवस में मय दस्तावेजो प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में आकर आपत्ति प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात् किसी भी उजर आपत्ति मान्य नहीं होगी सूचित हो।
देवास, दिनांक 30.09.2025 अभिभाषक अजय सेंधव
105, 106 प्रथम मंजिल, ऑर्बिट मॉल, इंदौर, मो. 9753441943

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 32 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती शिखा पति श्री निमिष जैन के द्वारा पंजीयन कार्यालय मोती तबेला स्थित निगम काउंटर झोन क्रमांक 32 राजस्व विभाग पर सर्विस क्रमांक/पिन क्रमांक 1001009899 पर आवेदन प्रस्तुत कर मकान नं. 46-बी, नोएसिस ग्राम निपानिया के दर्ज नाम पर सम्पत्ति का नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 1.10.25 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 32 राजस्व विभाग में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
प्रभारी अधिकारी
एडीशनल कार्यालय मोती तबेला झोन क्र. 32, नगर निगम, इंदौर

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 18 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुमन पति मांगीलाल, मोबाइल नं. .... के द्वारा झोन क्रं. 18, वार्ड 51 राजस्व विभाग पर आवेदन प्रस्तुत कर पता- 93, अंबिकेक नगर मूसाखेड़ी, इंदौर, सर्विस/पिन नं. 1004559096, सम्पत्ति का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पैकी भाग अनुसार नामांतरण चाहा गया है। निगम रिकार्ड में यह संपत्ति विष्णुबाई पति अशोक भाट के नाम दर्ज है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 26.9.25 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 18 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
सहायक राजस्व अधिकारी व झोनल अधिकारी
झोन क्र. 18, नगर पालिक निगम, इंदौर
इंदौर समाचार

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 18 इंदौर
जाहिर सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक (1) मयंक पिता राकेश गोयल, (2) प्रीति पति राकेश गोयल, मोबाइल नं. ..... के द्वारा झोन क्रं. 18, वार्ड 63 राजस्व विभाग पर आवेदन प्रस्तुत कर पता- 608, पुखराज कार्पोरेट, नवलखा, इंदौर, सर्विस/पिन नं. 1001303885, सम्पत्ति का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार नामांतरण चाहा गया है। निगम रिकार्ड में यह संपत्ति विवेक पिता श्याम हार्डिया के नाम दर्ज है। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 26.9.25 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 18 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
सहायक राजस्व अधिकारी व झोनल अधिकारी
झोन क्र. 18, नगर पालिक निगम, इंदौर
इंदौर समाचार

सकल जैन समुदाय के विरोध के बाद कृषि मंत्रालय ने लगाई पशु स्रोत वाले खाद पर रोक

इंदौर । कृषि मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी उस गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसमें पशुओं के चमड़े, मांस व हड्डियों से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। विश्व जैन संगठन एवं राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के प्रचारक राजेश जैन दद्दू एवं मयंक जैन ने सरकार के गजट नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध करते हुए समग्र समाज जो शाकाहार में विश्वास करती है के विरोध के कारण सरकार के नए ऑर्डर में पशु स्रोत वाले बायोस्टिमुलेन्ट (खाद) के मैन्युफैक्चर, बिक्री के लिए आयात, बिक्री के लिए प्रस्ताव, स्टॉक व प्रदर्शन पर *स्थगन आदेश* दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है । इससे पहले सरकार ने 13 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी कर 1985 के फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर सिलौटर हाउस से निकले अवशेष से बनने वाले खाद को देश के खेतों में इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

विद्याधाम पर चल रहे सद्गृहमख महायज्ञ में दो लाख आहुतियां संपन्न

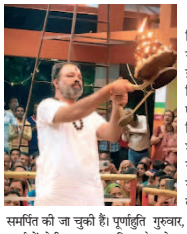

इंदौर । विमानतल मार्ग स्थित श्री श्रीविद्याधाम पर नवरात्रि महोत्सव में 11 विद्वानों द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के सानिध्य एवं आचार्य पं. राजेश शर्मा के निर्देशन में चल रहे सद्गृहमख शतचंडी महायज्ञ में दिनभर स्वाहाकार की मंगल ध्वनि गूंज रही है। महायज्ञ में अब तक 2 लाख से अधिक आहुतियां समर्पित की जा चुकी हैं। पूर्णाहुति गुरुवार, 2 अक्टूबर को दोपहर अभिजीत मुहूर्त में होगी। आश्रम परिवार के सुरेश शाहरा, पं. दिनेश शर्मा एवं राजेन्द्र महाजन ने बताया कि नवरात्रि में प्रतिदिन सांयकाल 108 दीपों से महाआरती में शामिल होने के लिए भक्तों का मेला लगातार जुट रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, आचार्य पं. राजेश शर्मा एवं आचार्य पं. राहुल कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रतिदिन नियमित आरती की जा रही है।

त्यौहारो के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों के संबंध में बैठक

इंदौर (मनीष शर्मा)। शहर में त्योहारों महाष्टमी, नवमी और दशहरा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व पुलिस व्यवस्था की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन 30 सितम्बर को पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर नगरीय क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया गया।उक्त बैठक में अति. पुलिस आयुक्त अमित सिंह, अति. पुलिस आयुक्त आर. के. सिंह सहित सभी पुलिस उपायुक्तगण एवं आसूसचना व सुरक्षा के अति उपयुक्तगण उपस्थित रहें। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण के साथ ही त्यौहारों (महाष्टमी, नवमी और दशहरा) को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए, शहर में शांति पूर्ण एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखते हुए, सभी नागरिकगण सुरक्षित माहौल में पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं इसके लिये, बेहतर पुलिस व्यवस्था हेतु सभी अधिकारियों को इसके लिये जरूरी तैयारी व व्यवस्था करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।